न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **02/2014**
GCMS NO. 2014/00727

1. मुखराम (मृतक)

1/1. गोपीराम पुत्र मुखराम उम्र 55 वर्ष
1/2. हेमराज पुत्र मुखराम उम्र 46 वर्ष
1/3. निम्वा देवी पत्नी स्व. रतनलाल उम्र 45 वर्ष
1/4. राजकुमार पुत्र स्व. रतनलाल उम्र 23 वर्ष
जाति रेगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

................वादी

वनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग खेतड़ी झुन्झुनूं (राज0)
2. जिला वन अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर (राज0)

............प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश
धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :– 22–11–2022**

वादी की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वादी ग्राम सुनारी तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2069 लगायत 2072 के खाता सं. 178 खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टर बारानी 3 लगान 2.36 रुपये का काबिज काश्तकार खातेदार है। उक्त भूमि वादी के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।
2. यह कि वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अनुसूचित जाति का होने से वादी व ग्राम के अन्य अनुसूचित जाति के आदमियों व सैनिको के नाम से दिनांक 23.6.1965 को ग्राम सुनारी के गत ख.न. 8 में से वादी के नाम से 5 बीघा पुस्ता भूमि आवंटित हुई थी। इस भूमि को वादी सम्वत् 2020 यानि सन् 1965 से लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करता आ रहा है। और इसे वादी ने लाखो रूपये लगाकर व शारीरिक मेहनत से पाल, डोला लगाकर जोत कर काबिल काश्त बनाया है।
3. यह कि वादी की आवंटित कब्जा काश्त की इस खातेदारी भूमि का गत ख.नं. 8 के हाल सेटलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टर बनकर आये और उसका पर्चा खतोनी खातेदारी भी सेटलमेन्ट विभाग ने [illegible]या और वादी तथा अन्य लोगो की मूमि को सहायक वन बन्दोबस्त अधिका[illegible] जयपु[illegible]ज. ने भी वादी की इस मूमि को बाद मौका जांच साक्ष्य दस्तावेज आदि अपने [illegible] दिनांक 18.4.1969 में वन विभाग की भूमि से बाहर माना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वादी दिनाक 26.12.2013 को अपने खेत ख[illegible] नम्बर 13 में गया था जहां वादी को प्रतिवादीगण के दो तीन कर्मचारी मिले और उन्होंने कहा कि तुम यहां क्या

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

लेने आये हो हमें हमारे अधिकारियों ने भेजा है हम तुम्हारी इस जमीन को वन विभाग में शामिल करके इसमें पिलर लगायेगे। वादी को पहले भी वन विभाग के कर्मचारियों ने ऐसी ही धमकी दी थी। इस पर वादी ने तहसीलदार खेतड़ी को आवेदन देकर अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.10.2013 को कराया था फिर भी वादी की भूमि पर वन विभाग अवैध रूप से जबरन अतिक्रमण करने की धमकिया दे रहा है।

5. यह कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सुनारी स्थित ख.नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर में प्रतिवादीगण को दखल व हस्तक्षेप करने तथा अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा करने का पूरा पूरा अधिकार है।

6. यह कि यदि प्रतिवादीगण वादी की उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का दखल व हस्तक्षेप करते है व वादी के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाते है व इस पर अतिक्रमण कर इसको वन विभाग की भूमि में मिला लेते है तो वादी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादी को यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ।

7. यह कि वादी को प्रतिवादीगण के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 26.12.2013 को वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखल करने व पिलर आदि लगाने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

8. यह कि वादी का मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादीगण को धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिये बिना नोटिस दिये यह वाद पेश किया जा रहा है जिसके लिये अलग से आवेदन पेश कर स्वीकृति ली गई है।

9. यह कि ग्राम सुनारी न्यायालय श्रीमानजी की सीमा में स्थित है इसलिये यह वाद सुनवाई का न्यायालय श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 23 सी के अनुसार यह वाद अन्दर मियाद पेश है।

11. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के कमांक 23 सी के अनुसार यह वाद दो रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।

12. यह कि वाद चालू जमाबन्दी से पेश किया जा रहा है तथा दौराने दावा उक्त भूमि को विक्रय, रहन, दान तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करेगा। जिसके समर्थन में वादी का शपथपत्र पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि ग्राम सुनारी स्थित वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर के कब्जा काश्त में फसल आदि बुवाई करने व आने जाने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल हस्तक्षेप नहीं करे तथा वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखल कर किसी भी प्रकार से पिलर आदि नहीं बनायें न हीं किसी प्रकार के पेड आदि लगाये ऐसा प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे तथा न हीं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अन्य किसी मजदूर टेकेदार आदि से भी नहीं करवाये।

(ख) कि प्रतिवादीगण दौराने दावा वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम सुनारी स्थित हाल ख.नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर की भूमि में किसी प्रकार का कोई पिलर, पारा, या अन्य प्रकार का निर्माण आदि कर लेते है तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाने का आदेशात्मक व्यादेश प्रदान किया जाये।

(ग) कि प्रतिवादीगण कोई अवैध कृत्य कर वादी की फसल को या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते है तो क्षति का मूल्यांकन [illegible] को प्रतिवादीगण से क्षति दिलाये जाने की डिकी प्रतिवादीगण के खिलाफ पारित की जाये।

(घ) कि अन्य न्याय संगत अनुतोष [illegible] न्यायालय उचित समझे दिलाया जाये तथा खर्चा दावा दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 क्षेत्रीय वन अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ने वादी के वाद को नकारते हुये खण्डन स्वरूप इस आशय का जवाब दावा पेश किया कि :–

1. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 1 अस्वीकार है। दावा में विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1028 राज्य सरकार द्वारा 1964 में वन विभाग को दे दी गई थी। तभी से उक्त भूमि वन विभाग के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी को ना तो भूमि खसरा नम्बर 1028 में भूमि आवंटित की गई ना ही आवंटन कमेटी को आवंटन का अधिकार था क्योंकि उक्त भूमि राजस्व विभाग की नहीं थी। बल्कि वन विभाग की थी। जिसको आवंटन कमेटी को आवंटन का अधिकार नहीं था। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उपखण्ड 10 के अनुसार फोरेस्ट लैण्ड की भूमि ना तो किसी को आवंटित हो सकती है एवं ना ही खातेदारी दिये जा सकते है।
2. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 2 अस्वीकार है।
3. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 3 गलत है अस्वीकार है।
4. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 4 गलत है। स्वीकार नहीं। वादी का कोई कब्जा ना ही अपितु वन विभाग का ही कब्जा है।
5. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 5 के खण्ड में वर्णित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होना स्वीकार है। शेष खण्ड अस्वीकार है।
6. यह कि दावा के खण्ड नम्बर 6 में वर्णित भूमि वन विभाग की है। व वन विभाग का कब्जा है। जिसकी खातेदारी भी वन विभाग के नाम है।
7. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 7 अस्वीकार है।
8. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 8 गलत है। स्वीकार नहीं वाद वर्णित भूमि वन विभाग की है,. यह जानकारी वादी को पूर्व से ही थी।
9. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 9 विधिक है। उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
10. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 10 अस्वीकार है। दावा आवश्यक प्रकृति का नहीं है। क्योंकि दावा घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का है। अतः 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। नोटिस के अभाव में दावा खारिज फरमाया जावे।
11. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 11 के उत्तर के आवश्यकता नहीं है।
12. यह कि दावा का खण्ड नम्बर 12 कोर्ट फीस बाबत है। अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

शपथ पत्र के भाग का अतिरिक्त उत्तर

यह कि ग्राम सूनारी तहसील खेतड़ी स्थित हाल खाता संख्या 178 खसरा नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर गत खसरा न. 8 से बना है जो भूमि वन विभाग को सन् 1964 में दी गई थी, व वन विभाग के नाम थी। चुकि भूमि वन विभाग के पूर्व में नाम होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उपखण्ड 10 के अनुसार फोरेस्ट लैण्ड की भूमि ना तो किसी को आवंटित हो सकती है ना ही किसी अन्य को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। भूमि फोरेस्ट की होने से यदि वादी को आंवटित की भी गई है तो खारिज होने योग्य है। क्योंकि आवंटन कमेटी को भी फोरेस्ट भूमि के आंवटन का अधिकार नहीं है। वादी का कब्जाकास्त नही है।

वादी की ओर से निम्न साक्ष्य पेश की गई :–

1. (प्रदर्श–1) नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता संख्या 178 ग्राम सुनारी।
2. (प्रदर्श–2) नकल जमाबन्दी संवत 2012–2015 खाता संख्या 1 ग्राम सुनारी।
3. (प्रदर्श–3) नकल जमाबन्दी संवत 2015 से ....खाता संख्या 98 ग्राम सुनारी।
4. (प्रदर्श–4) नकल जमाबन्दी संवत 2019–2022 खाता संख्या 153 ग्राम सुनारी।
5. (प्रदर्श–5) नकल जमाबन्दी [illegible] ग्राम सुनारी।
6. (प्रदर्श–6) नकल जमाबन्दी संवत 2027–2030 [illegible] 170 (153) ग्राम सुनारी।
7. (प्रदर्श–7) नकल जमाबन्दी [illegible] ग्राम सुनारी।
8. (प्रदर्श–8) नकल जमाबन्दी [illegible] ग्राम सुनारी
9. (प्रदर्श–9) नकल जमाबन्दी [illegible] 194 ग्राम सुनारी।
10. (प्रदर्श–10) नकल नामान्तकरण संख्या 128 ग्राम सुन[illegible]
11. (प्रदर्श–11) नकल आंशिक नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 खसरा नम्बर 13 व अन्य ग्राम सुनारी।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

12. (प्रदर्श–12) नकल आंशिक नक्शा ट्रेस मोमिया सन् 1988 गत खसरा 8 व अन्य ग्राम सुनारी।
13. (प्रदर्श–13) नकल फर्द मौका सीमाज्ञान पटवारी हल्का सेफरागुवार दिनांक 30.10.2013
14. (प्रदर्श–14, 15) नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम सुनारी गत खसरा नम्बर 8 हाल खसरा नम्बर 13
15. तहसीलदार खेतड़ी के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1965 की फोटो प्रति।
16. फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2012 से ..... तक ग्राम सुनारी खतौनी बदोबस्त तहसील उदयपुरवाटी खाता संख्या 289 मकबूजा ठिकाना खसरा नम्बर 8 रकबा 412 बीघा।
17. फोटो प्रति नकल निर्णय न्यायालय बाबू नवल किशोर गुप्ता सहायक वन बदोबस्त अधिकारी जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 18.04.1969 उनवानी प्रार्थीगण ग्राम सुनारी बनाम वन विभाग रेन्ज नीमकाथाना मिसल नम्बर 70/1958
18. फोटो प्रति भूमि खातेदारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.08.2013
19. मौखिक साक्ष्य में हेमराज पुत्र मुखराम जाति रेगर निवासी सेफरागुवार का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1) महेन्द्र सिंह भू.पू.सैनिक पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी सुनारी का शपथ पत्र (पी.डब्लू–2) श्योनारायण भू.पू.सैनिक पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी सुनारी का शपथ पत्र (पी.डब्लू–3)

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

वाद पत्र के अभिवचनों व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के अभिवचनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेज के आधार पर पत्रावली पर निम्नलिखित विवाद बिन्दु विचरित किये गये :–

1. आया कि वादी ग्राम सुनारी स्थित जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 2072 के खाता संख्या 178 खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टर का काबिज काश्त खातेदार है और प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

............प्रमाण–भार वादी

2. आया कि वादी की ग्राम सुनारी स्थित भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टर की भूमि में दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी प्रकार का पिलर, पारा या अन्य निर्माण कर लेवे तो वादी की भूमि से उसे हटाने का आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी है ?

............प्रमाण–भार वादी

3. आया कि प्रतिवादीगण दौराने दावा वादी की कृशि भूमि ख.नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर में अवैध रूप से भूमि व उसकी फसल को क्षति पहुंचाते है तो वादी प्रतिवादीगण से क्षति प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.......प्रमाण–भार वादी

4. आया कि धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में दावा खारिज योग्य है ?

......प्रमाण–भार प्रतिवादी

5. आया कि विवादित भूमि ख.नं. 1028 सन् 1964 में वन विभाग को दे दी थी जिसको आवंटन का अधिकार राजस्व विभाग को नही है ?

..प्रमाण–भार प्रतिवादी

6. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई [illegible] आद्योपान्त परीक्षण कर अवलोकन मनन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय [illegible] है :–

तनकी संख्या–1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार गत खसरा नम्बर 8 रकबा 412 बीघा [illegible] खातेदारी संवत 2012 में मकबूजा ठिकाना के नाम रही है जो बाद में राज्य सरकार के राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज की गई है। आवंटन सहालकार समिति द्वारा वर्ष 1965 में राज[illegible] खाते में दर्ज उक्त खसरा नम्बर 8 रकबा 412 बीघा में से 5 बीघा पुख्ता भूमि मिसल संख्या 84 आदेश दिनांक 23.06.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

1965 से वादी के नाम आवंटित की गई है। खसरा नम्बर 8 का रकबा बड़ा होने से उक्त खसरा नम्बर में अन्य व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी अलग अलग भूमि आवंटित हुई है। आवंटन के अनुसार पैमाईस विभाग ने वादी को आंवटित भूमि के नये खसरा नम्बर 8/12 रकबा 5 बीघा पुख्ता निर्मित किये। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 8/12 रकबा 5 वीघा से नये खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर निर्मित हुये। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में वादी आवंटन के अनुसार गत खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नम्बर का स्थाई खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 30.10.2013 से भी सावित है कि वादी वर्तमान खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर पर काबित काश्त है। उक्त तनकी पर प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से वादी ने यह सावित कर दिया है कि वह राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का एक स्थाई खातेदार कब्जा काश्तकार है। इसलिये प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि वह वादी की आवंटनशुदा खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दंखलदांजी करें। उपरोक्त तथ्यानुसार वादी– प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 को वादी सावित करने में पूर्णतया सफल रहा है। इसलिये तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या–2 इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हैक्टर की भूमि में दौराने दावा प्रतिवादीगण किसी प्रकार का पिलर, पारा या अन्य निर्माण कर लेवे तो वादी की भूमि से उसे हटाने का आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी के द्वारा उक्त तनकी पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं करवाई है जिससे यह सावित हो कि ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण के द्वारा किया गया हो या किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 2 को वादी सावित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसलिये तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या–3 इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। प्रतिवादीगण दौराने दावा वादी की कृषि भूमि ख.नं. 13 रकबा 1.26 हैक्टर में अवैध रूप से भूमि व उसकी फसल को क्षति पहुंचाते है तो वादी प्रतिवादीगण से क्षति प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वादी के द्वारा उक्त तनकी पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं करवाई है जिससे यह सावित हो कि ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण के द्वारा किया गया हो या किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 3 को वादी सावित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसलिये तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या–4 इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है, न की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का। वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रतिवादीगण को 80 सी.पी.सी.का नोटिस वादी द्वारा नहीं दिया गया परन्तु वादी ने पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से बाद अनुमति के हस्तगत वाद पेश किया है जिसकी कानून मे कोई मियाद नहीं है। इसलिये हस्तगत वाद पर 80 सी.पी.सी.का प्रावधान लागू नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 4 को प्रतिवादीगण सावित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसलिये तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या–5 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। हस्तगत वाद ग्राम सुनारी के गत खसरा नम्बर 8 रकबा 412 वीघा में से वादी को आवंटित भूमि रकबा 5 वीघा पुख्ता तथा आवंटन के अनुसार गत खसरा नम्बर 8 में से निर्मित नये खसरा नम्बर 8/12 रकबा 5 बीघा एवं हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर का है न कि खसरा नम्बर 1028 का। परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने शपथ [illegible] में [illegible] उक्त उत्तर में हाल खसरा नम्बर 13 व गत खसरा नम्बर 8 का उल्लेख किया है [illegible] किया है कि गत खसरा नम्बर 8 की भूमि वन विभाग को दी गई थी। परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी पर ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि गत खसरा नम्बर 8 की सम्पूर्ण भूमि वन विभाग को राज्य सरकार द्वारा दी गई है तथा उसी अनुसार वन विभाग का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा हो। तनकी संख्या 1 के माध्यम से वादी यह साबित कर चुका है कि गत खसरा नम्बर 8 रकबा 412 बीघा में से वादी को 5 बीघा पुख्ता भूमि आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात 5 बीघा पुख्ता भूमि के खसरा नम्बर 8/12 रकबा 5 बीघा निर्मित हुये तथा हाल में खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर निर्मित हुये है उक्तानुसार ही वादी खातेदार कब्जा काश्तकार है। वादी की मृत्यु के पश्चात वादी के वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/4 कब्जा काश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 से भी यह साबित है कि गत खसरा नम्बर 8 से निर्मित हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर वन विभाग की सीमा से बाहर व स्वतंत्र है। न्यायालय बाबू नवल किशोर गुप्ता सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी जयपुर राजस्थान ने मिसल संख्या 70/1958 उनवानी प्रार्थीगण ग्राम सुनारी बनाम वन अधिकारी रेन्ज नीमकाथाना में पारित निर्णय दिनांक 18.04.1969 में भी यह स्पष्ट किया है कि राजपत्र दिनांक 06.02.1958 में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि ग्राम सुनारी का खसरा नम्बर 2 व 8 का कितना रकबा वन विभाग में रखा जावे तथा प्रतिनिधि वन विभाग ने कोई आदेश व सबूत पेश नहीं किये। ऐसी सूरत में काश्त सुदा भूमि जिनको खातेदारी अधिकार मिल चुके है और लगान दे रहे है, को वन सीमा में रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्नानुसार उज्रदारी स्वीकार की जाकर रकबा 80 बीघा वन खण्ड नौरंगपुरा से बाहर किया जावे। उक्त निर्णय की उज्रदारी क्रमांक 8 पर मिसल संख्या 18/68 मुखराम रेगर यानि वादी की है जिसमें खसरा नम्बर 8 का 5 बीघा पुख्ता रकबा वन खण्ड नौरंगपुरा से बाहर किया गया है। ग्राम सुनारी ग्राम नौरंगपुरा का भाग है। उपरोक्त तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग की भूमि नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 5 को प्रतिवादीगण साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसलिये तनकी संख्या 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या–6 अनुतोष ?

तनकी संख्या 1, 4 व 5 का निर्णय वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में होना पाया गया है। इसलिए वादी का वाद साबित होने से स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है। उभय पक्षकारान को अन्य अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी का भूमि आवंटन आदेश प्रभावी रहने तक वादी (मृतक) वारिस वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 की ग्राम सुनारी स्थित आवंटनशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर के कब्जा काश्त में, फसल आदि बुवाई करने व आने जाने में किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप नहीं करें तथा वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखल कर किसी भी प्रकार से पिलर आदि नहीं बनाये, न ही किसी प्रकार के पेड़ आदि लगाये। ऐसा प्रतिवादीगण न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अन्य किसी मजदूर ठेकेदार आदि से करवाये। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

1. मुखराम (मृतक)

1/1. गोपीराम पुत्र मुखराम उम्र 55 वर्ष
1/2. हेमराज पुत्र मुखराम उम्र 46 वर्ष
1/3. निम्बा देवी पत्नी स्व. रतनलाल उम्र 45 वर्ष
1/4. राजकुमार पुत्र स्व. रतनलाल उम्र 23 वर्ष

जाति रेगर निवासी सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

.....वादी

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग खेतड़ी झुन्झुनूं (राज0)
2. जिला वन अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 02/2014 (GCMS NO. 2014/00727)
निर्णय दिनांक :– 22–11–2022

वादीगण की ओर से **श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री उदयमान सिंह, अपर लोक अभियोजक खेतड़ी** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **22–11–2022** को **जय सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी का भूमि आवंटन आदेश प्रभावी रहने तक वादी (मृतक) वारिस वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 की ग्राम सुनारी स्थित आवंटनशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26 हेक्टेयर के कब्जा काश्त में, फसल आदि बुवाई करने व आने जाने में किसी प्रकार का दखल, हस्तक्षेप नहीं करें तथा वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में दखल कर किसी भी प्रकार से पिलर आदि नहीं बनाये, न ही किसी प्रकार के पेड़ आदि लगाये। ऐसा प्रतिवादीगण न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अन्य किसी मजदूर ठेकेदार आदि से करवाये"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **22–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner